बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

(बिहार सरकार का एक प्रतिष्ठान)

कार्य प्रमंडल, नालन्दा (बिहारशरीफ)

शिव कुजं कागजी मुहल्ला, बिहारशरीफ, नालन्दा पिन-803101
दूरभाष-06112-230565, Email-spe-Nalanda@brpnn.co.in

ISO 9001 : 2015
Reg.no.:1017QFH01

पत्रांक - बी.आर.पी.ए.एन.एल./एन.ए.एल.- ...G-021...../931.... दिनांक- 13-8-18..पृष्ठ -....

प्रेस विज्ञप्ति

चुँकि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को यह प्रतीत होता है, कि लखीसराय जिला अंतर्गत पिपरिया अंचल के मौजा –आलीवाली थाना संख्या–07, मौजा–सुरजीचक थाना संख्या–175,176 एवं मौजा–पड़िया थाना संख्या–172 में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात लखीसराय जिलान्तर्गत सुरजीचक ग्राम के नजदीक हरोहर नदी पर भू–अर्जन काय, पहुँच पथ निर्माण कार्य एवं बचाव कार्य सहित 12x24.75 मी0 आकार का उच्च स्तरीय आर.सी.सी पुल निर्माण कार्य के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा लीज पर लिया जाना अपेक्षित है। बिहार रैयती लीज नीति 2014 के तहत उक्त प्रयोजनार्थ सतत लीज पर भूमि लेने का आदेश पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के का.आ.संख्या–प्र. 11/–06–04/2014–31 दिनांक–24.02.2016 सहपठित ज्ञापांक–11/–06–04/2014–1350 (ई) पटना, दिनांक–24.02.2016 के आलोक में उप मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा स्थल चयन पर सहमति प्रदान की गई है।

यह प्रेस विज्ञप्ति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या–1440 दिनांक–13.11. 2014 (बिहार रैयती लीज नीति 2014 के आलोक में पिपरिया अंचल के मौजा–आलीवाली थाना संख्या–07, मौजा–सुरजीचक, थाना संख्या–175,176 एवं मौजा–पड़िया थाना संख्या–172 जिला –लखीसराय के निम्नवर्णित भूमि को सतत लीज पर लिया जाना है, जो पूर्व में प्रकाशित सूची में सम्मिलित न होने के कारण भू–धारियों द्वारा दर्ज आपति के निराकरण के फलस्वरूप अंचल द्वारा प्राप्त सूची, जिसके लिए संबंधित भू–स्वामियों से उक्त सार्वजनिक सरकारी कार्य हेतु भूमि देने के संबंध में स्वीकृति/सहमति प्रदान करने हेतु जारी की गई है।

बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 (सतत लीज)के तहत पिपरिया अंचल के मौजा– पड़िया थाना संख्या–172 जिला –लखीसराय में निर्माणाधीन पुल के पहुँच पथ में पड़ने वाली छुटे हुये रैयतों की सतत लीज पर ली जानी वाली भूमि की विवरणी, जो अंचलाधिकारी पिपरिया के पत्रांक–267 दिनांक–07.08.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त है, जो निम्न प्रकार है–

13	मौजा का नाम	थाना नं0	खाता संख्या –	खेसरा सख्या	सतत लीज पर ली जाने वाली भूमि का प्रस्तावित रकवा (एकड)	किस्म जमीन	खतियानी रैयत का नाम पिता/पति का नाम	वर्तमान रैयत का नाम	अभियुक्ति
1	पड़िया	172	40	01	0.125	–	–	श्री मति बबीता देवी पति–श्री शिवबालक सिंह	
2	पड़िया	172	40	01	0.125	–	–	श्री मति रेखा देवी पति–स्व. जगदीश सिंह	

उक्त वर्णित भू–अर्जन स्वामियों से सहमति प्राप्त करने हेतु पिपरिया अंचल के सुरजीचक ग्राम के हनुमान मंदिर के निकट दिनांक–30.08.2018 को 11:30 बजे पूर्वाहन में शिविर का आयोजन किया जायेगा, जिसमें उक्त संबंधित भू–स्वामी निम्न प्रपत्र में उक्त सरकारी प्रयोजनार्थ अपनी भूमि देने के संबंध में लिखित सहमति दे सकते है:–

सहमति पत्र का प्रपत्र

मैं ....पिता / पति..ग्राम........................अंचल.........................जिला.........
अपनी उक्त वर्णित भूमि, जिसका खाता नं0...........................खेसरा नं................. रकवा.........................है, उक्त सरकारी प्रयोजनार्थ भूमि देने हेतु सहमत हूँ।

गवाह का हस्ताक्षर

भू–स्वामी का हस्ताक्षर

पुरा नाम ....

पता...

....

दिनांक–.......................................

पुरा नाम ....

पता...

....

दिनांक–.......................................

भूमि का नक्शा अंचल अधिकारी पिपरिया / वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमण्डल नालन्दा (बिहारशरीफ) के कार्यालय में कार्यवधि में देखा जा सकेगा। तथा किसी भी प्रकार की जानकारी ली जा सकेगी।

अगर किसी व्यक्ति / भू–स्वामी को किसी प्रकार की आपति / दावा हो तो इस विज्ञापन के समाचार पत्र में प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप दे सकता है। उक्त अवधि के बाद किसी व्यक्ति का कोई भी आपति / दावा मान्य नहीं होगा।

13.08.18

वरीय परियोजना अभियंता,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0,
कार्य प्रमण्डल नालंदा (बिहारशरीफ)